

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-22वीं अप्रैल 2025

सेवा में,

Om Prakash Mishra,
DAV Public School, NIT Campus,
NIT Campus, Adityapur, Seraikella-Kharshiwan.

विषय :- मौजा-Kuluptanga, प्लॉट नं०-807, खाता नं०-207, वार्ड नं०-6,7, थाना-RIT, जिला-सरायकेला-खरसावों में निर्मित DAV Public School, NIT Campus स्कूल भवनों हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित विद्यालय भवनों की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर सरायकेला-खरसावों से कराई गई। अपने ज्ञापांक-197, दिनांक-21.04.2025 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में निर्मित DAV Public School, NIT Campus स्कूल भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित स्कूल भवनों के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवनों में कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवनों के सभी स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
5. स्कूल भवनों के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें एक लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का एक-एक फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. 900ली०/मि० क्षमता का एक-एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. स्कूल भवनों में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक-एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. स्कूल परिसर में दो फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
 - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
 - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
 - iii. Water CO₂ Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
13. स्कूल भवनों में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
14. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
16. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
17. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 कें०जी० क्षमता का चार अदद CO₂ Fire Extinguisher से सुरक्षित

19. स्कूल भवनों में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. स्कूल भवनों के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
21. स्कूल भवनों में ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
22. स्कूल भवनों के सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
23. स्कूल भवनों के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
24. स्कूल भवनों के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
25. स्कूल भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
26. स्कूल भवनों में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
27. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

**JITENDRA
TIWARY**

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053,
2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b2057
9f87b90a96d6b7a5458ea0b0, postalCode=834004,
st=JHARKHAND,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360cae
b368d01281729c3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA
TIWARY
Date: 2025.04.22 22:00:32 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।